



न्यायालय श्रीमान मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी महोदय, भोपाल

निग-7002-PBR-16

प्रकरण क्रमांक15/16

श्रीमति संगीता शर्मा पत्नी श्री मुरारीलाल शर्मा

निवासी मकान क्र0 77 सावन नगर लालघाटी,

भोपाल

..... रिवीजनकर्ता/ आवेदिका

विरुद्ध

32
श्री ए.ए. एन. कोचर शक्ति:
क्र0 आर/17/12/15
पुस्तक

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर आफ स्टांप

भोपाल

.....

उत्तरदाता/ अनावेदक

17/12/15
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल

आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 56 भारतीय स्टांप एक्ट 1899


माननीय अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर आफ स्टांप जिला भोपाल के प्र0क्र0 46/सी
-132/2015-16 मे पारित आदेश दिनांक 10.12.2015 से व्यथित होकर यह रिवीजन माननीय
न्यायालय के समक्ष समयअवधि मे प्रस्तुत की गयी है:-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 7002-पीबीआर/2016

जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-9-2016	<p>उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सन्दर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा बोलता हुआ सकारण आदेश पारित नहीं करते हुये संक्षिप्त प्रकृति का आदेश पारित किया गया है कि भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 49(ख) के अन्तर्गत मुद्रा पत्र रिफण्ड योग्य नहीं है, जबकि उनका विधिक दायित्व था कि वे सकारण आदेश पारित करते कि संहिता की धारा 49(ख) के अन्तर्गत क्यों कर मुद्रा पत्र रिफण्ड योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा आदेश में उल्लेख किया गया है कि अधिनियम की धारा 50(2) एवं 54(ग) के अनुसार मुद्रा पत्र रिफण्ड हेतु आवेदन पत्र छह माह की अवधि के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है, जबकि इस संबंध में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधिनियम की धारा 50 का उल्लेख करते हुये स्पष्ट किया गया है कि उनके द्वारा मुद्रा पत्र रिफण्ड हेतु आवेदन पत्र 6 माह की निर्धारित अवधि में प्रस्तुत कर दिया गया है । अतः स्पष्ट है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश नहीं है, इस कारण निरस्त किये जाने योग्य है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश निरस्त कर प्रकरण कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे अधिनियम की धारा 49, 50(2) एवं 54(ग) के प्रावधानों पर विचार करते हुये आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में विस्तृत सकारण आदेश पारित करें ।</p>	<p> अध्यक्ष</p>